अनुबंध–4

ऋण पूंजी लिखत जारी करने संबंधी दिशानिर्देश

ए. टियर-I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)

यूसीबी, आरबीआई के पूर्वानुमोदन से, अपने सदस्यों या अपने परिचालन क्षेत्र में रहनेवाले किसी अन्य व्यक्ति को बांड या डिबेंचर के रूप में स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) जारी कर सकते हैं। शहरी सहकारी बैंक अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र विवरणिका/प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन सहित भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि प्रस्ताव दस्तावेज की शर्तें इन निर्देशों के अनुपालन में हैं। जमाकर्ताओं की सहमति से शहरी सहकारी बैंक के पुनरुद्धार योजना/वित्तीय पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में संस्थागत जमाकर्ताओं की मौजूदा जमाराशियों के एक हिस्से के रूपांतरण के माध्यम से भी पीडीआई जारी किया जा सकता है। पीडीआई के माध्यम से जुटाई गई राशियों को टियर I पूंजी के रूप में शामिल करने हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

2. निर्गम की शर्तें

2.1 सीमा

i. टियर-I पूंजी के लिए गणना की गई पीडीआई की राशि कुल टियर-I पूंजी[7] के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। बकाया नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)[8] को भी उपरोक्त 15 प्रतिशत की उच्चतम सीमा में शामिल किया जाएगा और अब तक की तरह पूंजीगत उद्देश्यों के लिए गिना जाएगा। उपरोक्त सीमा से अधिक पीडीआई टियर-II पूंजी के लिए निर्धारित सीमाओं के अधीन टियर-II पूंजी के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र होगा। हालांकि, निवेशकों के अधिकार और दायित्व अपरिवर्तित रहेंगे।

ii. यदि पीडीआई शहरी सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार योजना/वित्तीय पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में जारी किया जाता है, तो पीडीआई के लिए उपरोक्त 15 प्रतिशत की सीमा को आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है।

iii. पात्र राशि की गणना, सद्भाव, डीटीए और अन्य अमूर्त आस्ति की कटौती के बाद, पिछले वर्ष के 31 मार्च को टीयर-I पूंजी की राशि के संदर्भ में की जाएगी, लेकिन सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश की कटौती से पहले, यदि कोई हो।

2.2 राशि

जुटाई जाने वाली पीडीआई की राशि बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा तय की जा सकती है।

---

[7] अनुबंध-3 के पैरा 2.1 का संदर्भ लिया जाता है जिसके अनुसार पीएनसीपीएस और स्थायी ऋण लिखतों (पीडीआई) की बकाया राशि के साथ-साथ बकाया नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई) किसी भी समय कुल टीयर-I पूंजी के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

[8] शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय पुनर्गठन पर दिनांक 23 जनवरी 2009 के परिपत्र यूसीबी.पीसीबी.परि.सं.39/09.16.900/08-09 के अनुसार जारी किया गया।

2.3 परिपक्वता

ये लिखत स्थायी स्वरुप के होंगे।

2.4 ऑप्शन्स

2.4.1 पीडीआई को 'पुट ऑप्शन' या 'स्टेप-अप' विकल्प के साथ जारी नहीं किया जाएगा।

2.4.2 हालांकि, पीडीआई को कॉल ऑप्शन के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया जा सकता है:

ए. लिखत के कम से कम दस वर्ष पूरा करने के बाद लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति है; तथा

बी. कॉल ऑप्शन का प्रयोग केवल विनियमन विभाग (डीओआर), आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय, आरबीआई अन्य बातों के साथ-साथ, कॉल ऑप्शन के प्रयोग के समय और कॉल ऑप्शन के प्रयोग के बाद, बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा।

25.04 **वर्गीकरण**

पीडीआई को 'उधार' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तुलन-पत्र में अलग से दर्शाया जाएगा।

25.04 **ब्याज दर**

निवेशकों को देय ब्याज या तो एक निश्चित दर पर या बाजार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में फ्लोटिंग दर पर हो सकता है।

2.7 लॉक-इन-खंड

2.7.1 पीडीआई लॉक-इन-खंड के अधीन होगा, जिसके अनुसार जारीकर्ता बैंक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि

i. बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है; या

ii. इस तरह के भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता के नीचे गिर जाता है या रह जाता है;

2.7.2 हालांकि, ऐसे भुगतान के प्रभाव से निवल हानि होती है या निवल हानि में वृद्धि होती है तो शहरी सहकारी बैंक डीओआर, आरबीआई की पूर्वानुमति से ब्याज का भुगतान कर सकता है, बशर्तेकि सीआरएआर नियामक मानदंड को पूरा करता हो। इस उद्देश्य के लिए, निवल हानि को या तो (i) पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि या (ii) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुई हानि के रूप में परिभाषित किया गया है।

2.7.3 ब्याज संचयी नहीं होगा।

2.7.4 लॉक-इन-खंड के लागू संबंधी सभी मामलों को जारी करने वाले यूसीबी द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) के डीओएस, आरबीआई को सूचित किया जाना चाहिए।

2.8 दावे की वरिष्ठता

पीडीआई के निवेशकों के दावे इक्विटी शेयरों और पीएनसीपीएस में निवेशकों के दावों से ऊपर होंगे लेकिन अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ होंगे। पीडीआई और बकाया नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखतों (आईपीडीआई[9]) में निवेशकों के बीच, दावे एक-दूसरे के समान होंगे।

2.9 छूट

पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए पीडीआई को प्रगतिशील छूट के अधीन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये स्थायी प्रकार के हैं।

2.10 अन्य शर्तें

2.10.1 पीडीआई पूरी तरह से चुकता, अरक्षित और किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त होगा।

2.10.2 शहरी सहकारी बैंक पीडीआई जारी करने के संबंध में अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों, यदि कोई हो, का भी पालन करेंगे, बशर्तेकि वे इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के विरोध में न हों। भिन्नता की किसी भी घटना को टियर-I पूंजी में शामिल करने हेतु लिखत की पात्रता की पुष्टि की मांग करने के लिए डीओआर, आरबीआई के ध्यान में लाया जाए।

2.11 आरक्षित संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन

यूसीबी द्वारा पीडीआई के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में नहीं माना जाएगा और, इस प्रकार, सीआरआर/एसएलआर आवश्यकताओं को आकर्षित नहीं करेगा। हालांकि, सदस्यों/संभावित निवेशकों से एकत्र की गई राशि और पीडीआई के लंबित निर्गम को निवल मांग और मीयादी देनदारियों की गणना के उद्देश्य से देयता के रूप में माना जाएगा और तदनुसार, यह आरक्षित आवश्यकताओं को आकर्षित करेगा। पीडीआई जारी करने के लिए लंबित ऐसी राशि की गणना पूंजीगत निधियों की गणना के लिए नहीं की जाएगी।

2.12 रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

पीडीआई जारी करने वाले शहरी सहकारी बैंक, विवरणिका / प्रस्ताव दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ जारी करने के नियमों और शर्तों सहित, जारी की गई राशि का विवरण देते हुए, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के डीओएस, आरबीआई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

2.13 पीडीआई में निवेश और पीडीआई की खरीद के लिए अग्रिम

शहरी सहकारी बैंक किसी भी व्यक्ति को अपनी पीडीआई या अन्य बैंकों के पीडीआई खरीदने के लिए कोई ऋण या अग्रिम नहीं देंगे। शहरी सहकारी बैंक अन्य बैंकों द्वारा जारी पीडीआई में निवेश नहीं करेंगे (सिवाय जब पीडीआई को यूसीबी की पुनरुद्धार योजना के एक भाग के रूप में जारी किया जाता है जैसा कि ऊपर

---

[9] 'शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय पुनर्गठन' पर आईपीडीआई के संदर्भ में जारी दिनांक 23 जनवरी 2009 का परिपत्र संख्या यूबीडी.पीसीबी.परि.सं. 39/09.16.900/08-09।

पैरा 1 में उल्लेख किया गया है) और उनके या अन्य बैंकों द्वारा जारी पीडीआई की प्रतिभूति के बदले अग्रिम नहीं देंगे।

बी. लोअर टियर-॥ पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र लंबी अवधि के अधीनस्थ बॉन्ड (एलटीएसबी)

शहरी सहकारी बैंकों को अपने सदस्यों या उनके संचालन क्षेत्र में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को एलटीएसबी जारी करने की अनुमति है। एलटीएसबी के माध्यम से जुटाई गई राशि लोअर टियर-॥ पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र होने के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करेगी।

2. निर्गम की शर्तें

2.1 पात्रता

2.1.1 अपने नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले बैंकों को इस संबंध में आरबीआई की विशिष्ट अनुमति के बिना एलटीएसबी जारी करने की अनुमति है:

i. सीआरएआर यूसीबी पर लागू न्यूनतम सीआरएआर से कम से कम एक प्रतिशत अंक ऊपर होगा।
ii. सकल एनपीए 7% से कम और निवल एनपीए 3% से अधिक नहीं हो।
iii. पिछले चार वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों के लिए निवल लाभ दर्ज किया हो बशर्ते कि बैंक को तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में निवल हानि न हुई हो।
iv. पिछले वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में कोई चूक नहीं हुई हो।
v. बैंक के बोर्ड में कम से कम दो पेशेवर निदेशक हो।
vi. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) पूरी तरह से लागू हो।
vii. एलटीएसबी जारी करने वाले वर्ष से पहले के दो वित्तीय वर्षों के दौरान आरबीआई के निर्देशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक पर कोई मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाया गया हो।

2.1.2 उपरोक्त मानदंडों का पालन नहीं करनेवाले बैंकों के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति आवश्यक है। शहरी सहकारी बैंक अनुमति मांगते हुए विवरणिका/प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन के साथ आवेदन पत्र भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि प्रस्ताव दस्तावेज की शर्तें इन निर्देशों के अनुपालन में हैं।

2.2 सीमा

टियर-॥ पूंजी के रूप में गणना के लिए पात्र एलटीएसबी की राशि कुल टियर-। पूंजी के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी। बकाया दीर्घावधि (अधीनस्थ) जमाराशियों (एलटीडी) को भी उपरोक्त 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा में शामिल किया जाएगा और अब तक की तरह पूंजीगत उद्देश्यों के लिए गिना जाएगा। टियर-॥ पूंजी के अन्य घटकों के साथ ये लिखत टियर-। पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। उपरोक्त सीमा सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश की कटौती यदि कोई हो, से पहले, लेकिन सद्भाव और अन्य अमूर्त आस्तियों की कटौती के बाद टियर-। पूंजी की राशि पर आधारित होगी।

2.3 राशि

जुटाई जाने वाली राशि बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा तय की जा सकती है।

2.4 परिपक्वता

एलटीएसबी दस साल की न्यूनतम परिपक्वता अवधि के साथ जारी किया जाएगा।

2.5 ऑप्शन

2.5.1 एलटीएसबी को 'पुट ऑप्शन' या 'स्टेप-अप' ऑप्शन के साथ जारी नहीं किया जाएगा।

2.5.2 हालांकि, एलटीएसबी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन कॉल ऑप्शन के साथ जारी किया जा सकता है:

ए) कम से कम दस वर्षों तक चलने के बाद लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति है; तथा

बी) कॉल विकल्प का प्रयोग केवल विनियमन विभाग (डीओआर), आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय, आरबीआई अन्य बातों के साथ-साथ, कॉल ऑप्शन के प्रयोग के समय और कॉल विकल्प के प्रयोग के बाद, बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा।

25.04 **तुलन-पत्र में वर्गीकरण**

इन लिखतों को 'उधार' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तुलन पत्र में अलग से दर्शाया जाएगा।

25.04 **ब्याज दर**

एलटीएसबी ब्याज की एक निश्चित दर या बाजार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में ब्याज की एक फ्लोटिंग दर वहन कर सकता है।

2.8 मोचन / चुकौती

परिपक्वता पर मोचन / चुकौती केवल डीओआर, आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।

2.9 दावों की वरिष्ठता

एलटीएसबी जमाकर्ताओं और अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा, लेकिन टीयर-I पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों और वरीयता शेयरों के धारकों (टियर I और टियर II दोनों) के दावों से वरिष्ठ होगा। लोअर टियर-II पूंजी (यानी बकाया एलटीडी, यदि कोई हो) में शामिल उपकरणों के निवेशकों में, दावे एक दूसरे के साथ समान होंगे।

2.10 प्रगतिशील छूट

इन बांडों को उनके कार्यकाल के अंतिम पांच वर्षों में पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए निम्नानुसार प्रगतिशील छूट के अधीन रखा जाएगा:

लिखतों की शेष परिपक्वता	छूट का दर (%)
एक साल से कम	100
एक साल और उससे अधिक लेकिन 2 साल से कम	80
दो साल और उससे अधिक लेकिन तीन साल से कम	60
तीन साल और उससे अधिक लेकिन चार साल से कम	40
चार साल और उससे अधिक लेकिन पाँच साल से कम	20

2.11 अन्य शर्तें

2.11.1 एलटीएसबी पूरी तरह से चुकता, अरक्षित और किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त होगा।

2.11.2 शहरी सहकारी बैंक एलटीएसबी जारी करने के संबंध में अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों, यदि कोई हो, का भी पालन करेंगे, बशर्ते वे इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के विरोध में न हों। टियर-II पूंजी में शामिल करने हेतु लिखत की पात्रता की पुष्टि की मांग करने के लिए भिन्नता की किसी भी घटना को डीओआर, आरबीआई के ध्यान में लाया जाए।

2.12 आरक्षित निधि की आवश्यकता

एलटीएसबी के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि की आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देनदारियों की गणना के लिए देयता के रूप में माना जाएगा और इस तरह, यह सीआरआर / एसएलआर आवश्यकताओं को आकर्षित करेगा। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सदस्यों/संभावित निवेशकों से एकत्र की गई राशि और उसके द्वारा एलटीएसबी के लंबित निर्गम द्वारा धारित राशि को पूंजी निधियों की गणना के लिए माना जाएगा।

2.13 रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

एलटीएसबी जारी करने वाले शहरी सहकारी बैंक, जारी होने के तुरंत बाद विवरणिका / प्रस्ताव दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ नियम और शर्तों सहित, जुटाई गई राशि का विवरण देते हुए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के डीओएस, आरबीआई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

2.14 एलटीएसबी में निवेश और एलटीएसबी की खरीद के लिए अग्रिम

शहरी सहकारी बैंक किसी भी व्यक्ति को अपने एलटीएसबी या अन्य बैंकों के एलटीएसबी खरीदने के लिए कोई ऋण या अग्रिम नहीं देंगे। शहरी सहकारी बैंक अन्य बैंकों द्वारा जारी एलटीएसबी में निवेश नहीं करेंगे और न ही वे अपने या अन्य बैंकों द्वारा जारी एलटीएसबी की प्रतिभूति पर अग्रिम प्रदान करेंगे।